55

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक

प्रथम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल – 462 004
दूरभाष (0755) 2674200 फैक्स 2674334
ई–मेल pccfmp@mpforest.org

क्रमांक/उत्पा०/भूमिस्वामी/54 भोपाल, दिनांक 03-1-2014

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं
पदेन वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
मध्यप्रदेश

विषय :– भूमि स्वामी हक की विनिर्दिष्ट वनोपज के कय के संबध में।

प्रदेश में विनिर्दिष्ट वनोपज की अवैघ कटाई के ऐसे प्रकरणों की संख्या में वृद्धि हुई है जो भू–राजस्व संहिता के तहत नियमानुसार अनुज्ञा प्राप्त न की जाकर काटकर गिराये गये हैं, विनिर्दिष्ट वनोपज मुख्यत काष्ठ को काटने की अनुमति भू–रास्व संकिता की धारा 240 व 241 में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत संचालित है, जबकि इसके परिवहन तथा बिकी भारतीय वन अधिनियम तथा मध्य प्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम के तहत संचाालित है। ऐसे प्रकरणों में विभाग को उपरोक्त कटी हुई वनोपज उक्त अधिनियम की व्यवस्था के तहतकय करना पड़ता है, जबकि ऐसी वनोपज न तो इस अधिनियम के तहत धारा 10 के तहत पंजीकृत होती है और न ही काष्ठ वन वर्धनिक नार्मस्के तहत कटाई योग होती है। इस तरह के प्रकरणों में काष्ठ कटाई के बिचोलिये गांव के गरीब किसानों के खड़े वृक्ष खरीद लेते हैं तथा भू–राजस्व संहिता में अवैध कटाई के अंतर्गत बहुत कम दण्ड राशि भुगतान कर इस वनोपज की डिपो में बिकी की जाती है। इससे किसान को बहुत कम राशि (वृक्षों की कम उम्र होने के कारण तथा अवैध तरीका अपनाने के कारण) प्रतिदान में प्राप्त होती है।

अतः इस संबंध में निम्न निर्देश दिये जाते हैं :–

1. जब राजस्व विभाग वन विभाग को अनापत्ति हेतु प्रकरण भेजता है तब वनमंडलाधिकारी को चाहिए कि [redacted]

2. यदि अनुशंसा सकारात्मक की गई है तो लोक वानिकी अधिनियम के अनुरुप उस क्षेत्र की कार्य योजना स्वीकृत करते समय निर्धारित प्रपत्र में अधिनियम की धारा 10 में उगाने वाले का पंजीयन करके ही योजना स्वीकृत करें ।

3. जब भूमि स्वामी व्दारा विर्निदिष्ट वनोपज की कटाई वगैर अनुमति के की हो और राजस्व संहिता के अन्तर्गत दंड देकर वनोपज वन विभाग को सौंपने के आदेश दिये गये हो तो वनोपज व्यापार विनियमन अधिनियम 1969

(56

की धारा 5 तथा 17 के अन्तर्गत ऐसे विचोलियों के खिलाफ जिन्होंने आवेदकों को प्रेरित किया हो दुष्प्रेरण की कार्यवाही की जावे ।

4. माननीय उच्चतम न्यायालय व्दारा गठित केन्द्रीय साधिकार समिति व्दारा जारी आदेश कमांक 17 दिनांक 29.1.2002 के तहत निर्देशित किया गया है कि वन आच्छादित निजी क्षेत्र जो वन की परिभाषा में आते हैं, 10 हेक्टेयर से अधिक के वन क्षेत्र हैं तथा 200 पेड़ प्रति हेक्टेयर से अधिक के प्रकरणें में भूमि का वर्गीकरण परिवर्तन नहीं किया जा सकता है और ऐसे क्षेत्र को वनों के रुप में ही बनाये रखने के आदेश हैं । यदि ऐसे क्षेत्रों में भू–राजस्व संहिता की धारा 240,241 के तहत प्रकरण जिला कलेक्टर से प्राप्त होते हैं तो दी गई स्वीकृति की अनुशंसा करते समय जिलाध्यक्ष को इस शर्त का स्मरण करा देना चाहिए तथा अनुशंसा में यह शर्त लिख देना चाहिए कि ऐसे वन आच्छादित वनों में उसके वन स्वरुप को बनाये रखना आवश्यक होगा ।

कृपया इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे ।

(अनिल ओबेराय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ0कमांक /उत्पा0/ग्रामीणवानिकी/54(ए) भोपाल,दिनांक 3-1-2011
प्रतिलिपि–

वरिष्ठ निज सहायक,प्रधान मुख्य वन संराक्षक म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्यप्रदेश, भोपाल

o/c